फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा

सोमोती बनाम गोविन्दा वगै0

मु0नं0– 160 / 2022

किस्म मुकदमा– दावा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26/4/23	पत्रावली कैम्प कोर्ट मानपुर में पेश हुई। वादीगण अधिवक्ता उपस्थित आया। पत्रावली में उभयपक्षकारान द्वारा राजीनामा पेश किया गया। राजीनामा पेश कर निवेदन किया गया कि वादपत्र के पैरा संख्या में वर्णित आराजीयात में मृतक रामजीलाल पुत्र नारायण के स्थान पर उसके वारिसान वादीगण संख्या 1 लगायत 3 के नाम की खातेदारी उद्घोषणा किये जाने में प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है। वादिया संख्यबहस का मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादिया संख्या 1 सोमोती देवी मृतक रामजीलाल की पत्नि है तथा वादी संख्या 1 व 2 रामजीलाल के दत्तक पुत्र है जिनके द्वारा मृतक रामजीलाल के हिस्से की भूमि की उद्घोषणा चाही गई है। उक्त के संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा भी सहमति प्रदान की गई है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावा वादीगण स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। अतः दावा वादीगण स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम मानपुर तह0 सिकराय जिला दौसा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1414, 1417, 1427, 1436, 1437, 1438, 1439, 1453, 1454, 1458, 1459, 1460, 1462, 1464 तथा 1467 कुल किता 15 कुल रकबा 2.3800 है0 में से रामजीलाल पुत्र रामनारायण के हिस्सा 1/3 की भूमि का खातेदार काश्तकार वादीगण 1 लगायत 3 को घोषित किया जाता है। तहसीलदार सिकराय वादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। इस आशय की अंतिम डिक्री जारी हो। तहसीलदार सिकराय उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चित करें। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी सिकराय (दौसा)	